न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 13/155

1. श्रीमती धन्ना बाई पत्नी श्री रामचन्द्र जाति काछी निवासी ग्राम सिलोर तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. गिर्राज आत्मज श्री रामचन्द्र जाति काछी निवासी ग्राम सिलोर तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. दिलराज आत्मज श्री रामचन्द्र जाति काछी निवासी ग्राम सिलोर तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. श्रीमती द्रोपदी पुत्री श्री रामचन्द्र जाति काछी निवासी ग्राम सिलोर तहसील एवं जिला बून्दी।
5. श्रीमती कौशल्या पुत्री श्री रामचन्द्र जाति काछी निवासी ग्राम सिलोर तहसील एवं जिला बून्दी
6. गिरजा पुत्री रामचन्द्र जाति काछी निवासी ग्राम सिलोर तहसील व जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय तहसील एवं जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दिनेश पारीक, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार, सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 05.07.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.04.2013 के विरूद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद अधिकार घोषणा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सिलोर तहसील एवं जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 284 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 290 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1264 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी क्रम 1 के पति एवं वादीगण क्रम 2 से 6 के पिता श्री रामचन्द्र आत्मज श्री कंवर लाल जाति काछी निवासी ग्राम सिलोर का 1/6 हिस्सा दर्ज है । इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 285 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 287 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 289 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 2225/286 रकबा 10 बिस्वा किता 04 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम सिलोर में ही स्थित है जिसमें रामचन्द्र आत्मज श्री कंवर लाल का हिस्सा 55/990 दर्ज है। रामचन्द्र आत्मज कंवर लाल विगत करीब 18–20 वर्षो से लापता है उनके जीवित अथवा मृत

...ने की भी कोई जानकारी वादीगण को नहीं है । रामचन्द्र के परिवार में वादीगण वैद्य उत्तराधिकारी है और उनका भरण–पोषण उक्त भूमि से सम्न्न होता है किन्तु भूमि के खातेदार के स्थान पर श्री रामचन्द्र का नाम अंकित होने के कारण राज्य सरकार की योजनाओं आदि का लाभ वादीगण नहीं उठा पा रहे हैं ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी में वादीगण के हिस्से अनुसार वादीगण के खातेदारी अधिकारों की विधिवत घोषणा की जाकर उनका नाम खातेदार के स्थान पर अंकित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.04.2013 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.04.2013 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में उक्त अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय कीं पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में गलत विवेचना करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा रामचन्द्र के लापता होने के तथ्य को अंकित किया गया है । इस देश की मर्यादा व परम्परा के अनुसार जब तक परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि न हो तब तक उसे मृतक बताना सामान्य ज्ञान के विपरीत है और इस परिकल्पना के आधार पर विवेचना की जाकर वाद खारिज किया जाना न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.04.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादीगण अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे उनका वाद साबित होता हो और उनके कथनों की पुष्टि होती हो । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलान्ट ने अपने पिता एवं पति को लापता होना बताते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् वाद पेश किया है । इस देश की मर्यादा व परम्परा के अनुसार जब तक परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि न हो तब तक उसे मृतक बताना सामान्य

ज्ञान के विपरीत है और इस परिकल्पना के आधार पर विवेचना की जाकर वाद खारिज किया जाना न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.05.2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पैरा नं0 09 में किये गये विवेचन का दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.08.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 05.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा